

कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ: दिनांक: 15-5-2019

:- कार्यालय ज्ञाप:-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ का सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु आदेशित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि/कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली नई संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा महान विचार-विमर्श कर निम्नवत् निर्णय लिया गया :-

“ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में संलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा फार्मसी संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-2 में अंकित संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्थाओं को डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संस्तुति सत्र 2019-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० अनुमोदन पत्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत ही की जाएगी।”

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विषय-विशेषज्ञ द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	सत्र में प्रवेश
1	1962	जी०बी० कॉलेज ऑफ फार्मसी, जेवारी, खिरवा रोड, मेरठ	डिप्लोमा इन फार्मसी	80	80	

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद दिनियमवाली 1992 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०- 22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के साबन्ध में रागय-रागय पर शारंग द्वारा निर्मित किये जाने वाले शरणादेश प्रक्री होगे, और लक्ष्यपूर्ण कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।

कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ: दिनांक: 15-9-2020

: कार्यालय ज्ञाप:-

आखिल भारतीय कर्मचारी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कर्मचारी कार्यालय अफ एशिया, नई दिल्ली द्वारा संचालित सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तराथ कर्मचारी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने का उपरक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को आयुक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में वायव्य सत्र 2020-21 हेतु समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/प्रवेश क्षमता दृष्टि सहित अन्य नया पर विचार करने हेतु सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त में अनुमोदन में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-3 में डिप्लोमा इन फार्मैसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

"निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मैसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी0सी0आई0 द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी0सी0आई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी0सी0आई0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आयुक्त सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय को अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु नियमांकित शर्तों के अंतर्गत पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र० स०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी0सी0आई0 /परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	1962	डी0डी0 क्षेत्रीय अफ फार्मैसी, आर०, शिवम गेट, मेरठ।	डिप्लोमा इन फार्मैसी	७०	७०

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए0आई0सी0डी0ई0 / पी0सी0आई0 द्वारा निश्चित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1992, समस्त विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं अवशो या अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वषीय इंजीनी पाठ्यक्रम हेतु ₹0 30,150.00/- प्रतिवर्ष, वा वषीय फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु ₹0-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वषीय पाठ्यक्रमों (दो वषीय फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹0-22,800.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्रा से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किए

कार्यालय,

सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या: प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय आप्तः

अभिमत म. सी. पी. तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मसी का अनुमोदित ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संदेश क्र 2021-22 हेतु दिल्ली का सी. पी. तकनीकी शिक्षा मंत्रालय की अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक कायम हुई। बैठक में समिति द्वारा राय 2021-22 हेतु अनुमोदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता एवं सी. पी. तकनीकी शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता प्रदान करने के विषय में विचार करने हुए राय 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विचार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया।


संस्था का कोड एवं नाम : 1962-G.B. COLLEGE OF PHARMACY, JEVARI, KHIRWA ROAD, MEERUT  
कठसं० पाठ्यक्रम का नाम ए०आई०सी०टी०ई० पी०टी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता  
1 : DIPLOMA IN PHARMACY 60 60

- ✓ संस्था ए. आई. सी. टी. ई. पी. टी. आई. द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियम 2018 संशोधित विनियम 2018 तथा संस्था निर्मित नियम एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क वित्त वर्षीय रूप में पाठ्यक्रम हेतु ₹ 30150/00- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹ 60300/00- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों को वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु ₹ 30150/00- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक वर्ष छात्रों से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत विद्ये जाने वाले शासनदेश प्राप्त की जाएंगे और अनुपालन किया जायेगा। आवश्यक होने पर निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाय तो फीस की नवीकरण देते लागू होगा।
- ✓ संस्था में उत्तर प्रदेश परीक्षा परिषद द्वारा निर्धारित छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। शीर्ष के चयन से जाने का स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश का कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित शासनदेशों के अनुसार निर्दिष्ट एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए. आई. सी. टी. ई. पी. टी. आई. में अनुमोदित प्राप्त किया जाय आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाने एवं निर्दिष्ट निकाय/अधिष्ठाता/शासन-नियंत्रण/निर्देशों एवं निर्देशों, प्राथमिक शिक्षा, उच्चतर, संस्था प्रवेश परीक्षा परिषद, उच्चतर प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्चतर द्वारा बनाने एवं निर्देशों विधि एवं आदेशों, निर्देशों का पालन करना और निर्देशों का पालन होगा।
- ✓ संस्था में संस्था के पाठ्यक्रम की सम्बद्धता परीक्षा नई दिल्ली से अनुमोदित प्राप्त करने में असाध्य रहती है तो इस सम्बन्ध में संस्था उत्तराधिकार संस्था का निर्देश देना चाहिए कि संस्था को आर्थिक रूप से सहायता देना चाहिए।
- ✓ संस्था में प्राथमिक शिक्षा परिषद, संस्था प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश शासन को कोई कार्य देना चाहिए। संस्था को समय-समय पर शासनदेश प्राप्त की जाएगी।
- ✓ संस्था में प्राथमिक शिक्षा परिषद, संस्था प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रवेश परीक्षा के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए. आई. सी. टी. ई. पी. टी. आई. से अनुमोदित प्राप्त करने पर परिषद कार्यालय को उपरोक्त करना होगा। संस्था को प्रवेश की (कार्यालय) के माध्यम से अच्छा सम्बन्ध रख पर सी. पी. तकनीकी शिक्षा परिषद, लखनऊ से सम्बद्धता प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्दिष्ट निकायों और शासनियों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संस्था सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठिका (इति, शरण, सचिव-सचिव, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था की शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपरोक्त विचारण/उपरोक्त करने के साथ संयोग लेकी के सम्बन्ध में साभार आवश्यक व्यक्तिसूची सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रवेश हेतु सजावट पाठ्यक्रम को वताये जाने हेतु निर्देशों समिति के साभार उपलब्ध कराया गये अनिवार्य सूचि/सूचन, फलाने, उपकरण इत्यादि का वताये संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के लक्ष्य में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसका जानकारी होनी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रहे है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किया जाने को अनुमोदित कर दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को कार्यवाही प्रदान करने यदि संस्था में प्रवेश परीक्षा प्रयोग, उपकरण एवं अन्य सम्बन्धिता ए. आई. सी. टी. ई. पी. टी. आई. परिषद के माध्यम से प्रदान करनी पाया जाता है तो संस्था को सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन किया जाय संस्था शर्तों का पालन करते जाने की स्थिति में प्रवेशानुसार अनुपालन/समाप्त कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

दिनांक: 09/08/2021

  
(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

प्राथमिक शिक्षा परिषद, संस्था का नाम G.B. COLLEGE OF PHARMACY, JEVARI, KHIRWA ROAD, MEERUT